मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3838

16.03.2026 को उत्तर के लिए

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

3838. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास में बिछाई गई हाईटेंशन बिजली की लाइनें इस गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति की मृत्यु का प्रमुख कारण बन रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हाईटेंशन विद्युत लाइनों से टकराने के कारण मारे गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में भूमिगत हाईटेंशन बिजली की लाइनें बिछाने या प्रभावी वैकल्पिक उपाय अपनाने के निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन निदेशों के अनुपालन की अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ङ) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रमुख पर्यावास क्षेत्रों में हाई-टेंशन लाइनों को हटाने/ भूमिगत लाइनें बिछाने, बर्ड डायवर्टर लगाने, लाइन का मार्ग बदलने आदि जैसे वैकल्पिक उपायों के लिए सरकार द्वारा अब तक उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास आने वाले वर्षों के लिए कोई कार्य योजना है और इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) एक गंभीर रुप से संकटग्रस्त प्रजाति है, जो स्थानीय घासभूमि वाले पर्यावासों में पाई जाती है और ये पर्यावास क्षरण तथा मानवजनित कारकों से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में हुई गिरावट कई कारणों से जुड़ी हुई है, जैसे पर्यावास की हानि, पर्यावास की गुणवत्ता में गिरावट, कृषि गतिविधियों का विस्तार, तथा जंगली बिल्ली और पालतू

कुत्तों, अन्य जंगली मांसाहारी जीवों द्वारा शिकार और उनसे संबंधित मानवजनित गतिविधियाँ। हाईटेंशन बिजली लाइन और पवन चक्कियों के साथ टक्कर भी इनकी मृत्यु दर का एक कारण है। इसके अतिरिक्त, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को धीमी प्रजनन दर वाली प्रजाति भी माना जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 838 / 2019 में दिनांक 19.12.2019 के अपने निर्णय में एमके रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ मामले में राजस्थान और गुजरात राज्यों में जीआईबी संरक्षण के लिए चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों के उपशमन से संबंधित कार्यों को भी निर्देशित किया था, जिसमें भूमिगत करना, पुनर्निर्देशन आदि शामिल हैं। माननीय न्यायालय के निर्देशों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

मंत्रालय पांच साल की अवधि के लिए जीआईबी रेंज राज्यों और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी और लेसर फ्लोरिकन के लिए संरक्षण कार्य योजना) परियोजना' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना में राजस्थान राज्य में जीआईबी के संरक्षण प्रजनन, घास के मैदानों की बहाली, सुरक्षा और निगरानी, वैज्ञानिक पर्यावास प्रबंधन, खतरे को कम करने और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लक्षित गतिविधियां शामिल हैं।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में सैम और रामदेवरा में दो संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम ने कृत्रिम हैचिंग, चूजा पालन, बस्टर्ड पशुपालन और संरक्षण में प्रजनन के लिए तकनीक विकसित की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीआईबी का संरक्षण में सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है। जीआईबी केंद्रों में कुल 68 पक्षी हैं, जिनमें से 33 पक्षी जंगली क्षेत्र से अंडों के रूप में प्राप्त (फाउंडरस) किए गए हैं तथा शेष 35 पक्षी संरक्षण में प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं।
